an>

Title: Regarding Business of the House and Rules of Procedure and Conduct of Business on Budget discussion.

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण, मैं समझ सकती हूँ कि आप सबकी भावना है कि वित्त मंत्री को यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन वित्त मंत्री माननीय श्री अरूण जेटली जी ने मुझे पत्र दिया था और मैंने उन्हें एलाऊ किया था। He will be back on Monday. उन्होंने कहा है कि वह सोमवार को रहेंगे और उन्होंने वित्त राज्य मंत्री जी को ऑथराइज किया हुआ है, he is also the State Minister. वे दूसरे सैक्शन के नहीं हैं, वे फाइनेंस में ही राज्य मंत्री हैं और ऐसा होता है, पहले भी हुआ है। यह भी तय हुआ था कि आज हम शुरू करेंगे। आज प्राइवेट मेंबर बिल है। 12 बजे से साढ़े 3 बजे तक हम चर्चा करेंगे और सोमवार को पूरा दिन वित्त मंत्री रहेंगे। मेरी अनुमति से वे बाहर गए हुए हैं। मैंने उनको अनुमति दी हुई है। हम मानते हैं कि वित्त राज्य मंत्री भी उतने ही सक्षम हैं, नोट करने के लिए, ऐसा पहले भी होता आया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम डिस्कशन प्रारम्भ करें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे **(गुलबर्गा) :** उनकी एफीशिएंसी के बारे में, क्षमता के बारे में हम कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं। वे बहुत ही इंटेलीजेंट हैं, फॅारेन रिटर्न, एजुकेटेड हैं, वह हम सब मानते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो नेशनल बजट पेश किया गया है, जो देश के सामने रखा गया है, उसके बारे में जब यहाँ चर्चा होती है, तो वित्त मंत्री जी का प्रेज़ेंट रहना बहुत ही जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट यह जानना चाहती है, बहुत से विषय उनके नोटिस के लिए आते हैं, इसलिए हम यह चाहते हैं कि यदि आपने परमीशन दी है, अगर वे गए हैं...(व्यवधान) यह सदन की हमेशा परम्परा रही है कि जब प्रेज़ेंट करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर उपस्थित रहते ही हैं। बीच में कभी जाते हैं, आते हैं, that is a different matter. रिप्लाई देते वक्त भी वे उपस्थित रहते हैं। कभी एक-दो ईश्यू ऐसे आते हैं, तो वह होता है। लेकिन अगर वे आपकी परमीशन से गए हैं तो मेरी यही विनती है कि आप यह चर्चा मन्डे को लीजिए। अब नॉन ऑफिशियल जो भी बिजनेस है, वह स्टार्ट कर दीजिए। यह सबको मंजूर है।...(व्यवधान) आप देखिए, सदन भी पूरा खाली है।...(व्यवधान) इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप मन्डे को इसे लीजिए, फिर उसके बाद जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें स्टार्ट कीजिए।...(व्यवधान)

SHRI E. AHAMED (MALAPPURAM): Madam Speaker, I would also like to speak on this issue. Why are you not allowing me?

माननीय अध्यक्ष **:** कृपया, बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री**,** आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री **(**श्री एम. वैंकैय्या नायडू**) :** महोदया, मैं विनम्रता से सदन को निवेदन करना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** अब आप इसी पर डिस्कशन करेंगे।

â€¦(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू **:** एक इंटरनेशनल कमिटमेंट के कारण से वित्त मंत्री बाहर गए हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** सभी की भावना है, मैं सभी के लिए रिप्लाई कर दूँगी।

â€¦(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू **:** अध्यक्ष महोदया, वह जो कमिटमैंट था, उसके कारण वित्त मंत्री गए हैं और आपकी अनुमति लेकर गए हैं। ...(व्यवधान) मेरी विपक्ष के मित्रों से प्रार्थना है कि जो काम है, वह महत्वपूर्ण काम है, इंटरनेशनल कमिटमैंट है और दूसरा, अध्यक्ष महोदया की अनुमति लेकर गए हैं। तीसरा, बहुत रूलिंग्ज़ हैं जिसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर and even any Minister can do it. Those sorts of precedents were there. लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप बैठे-बैठे चर्चा करें तो मैं अंदर जाती हूँ। इधर-उधर से बातें करें, यह तरीका ठीक नहीं है दीपेन्द्र जी। Please sit down. ऐसा नहीं होता है कि बैठे-बैठे कमैन्ट्स करो। मैं बात बोल रही हूँ वह समझ लें। बैठे-बैठे हर बात पर कमैन्ट्स नहीं करते हैं। प्लीज़ बैठिये। यह क्या है? आपके लीडर ने बोला है ना।

â€¦(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Any Minister can represent the other Minister. That is the stated position, which has been accepted in parliamentary principles. That being the case, I would only request my friends from the Opposition to respect the decision taken by the Chair. The Minister is not going to speak but he has only just to present it, and the discussion has to start. Let us have the discussion. It was also agreed upon. Please try to understand one thing. On that only, we decided not to sit tomorrow. â€¦ (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Do not say that ...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Shri Kharge ji, please listen. Madam, yesterday when I intervened, with your permission, I said: "The Members are asking that the coming Saturday may be given holiday. Let us discuss have the discussion on the General Budget tomorrow up to 3.30 p.m. and then take up the Private Members' Business, again continue the discussion on the General Budget on Monday and the Finance Minister will reply at the end of the discussion." That is what I submitted. It was agreed upon by everybody. Now, again requesting, for the same of ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Let him complete. Shri Kharge ji, I will allow you again to speak. Let the discussion go on.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Making a non-issue as an issue, I do not think it is good. They should accept this. I would request them to cooperate in conducting the House. Madam, a lot of Members would like to speak. Some Members would speak today and other Members would speak on Monday. Let us move ahead.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam Speaker, we are not challenging whatever decision that you have taken. You have got power to take that decision but they cannot take advantage under your shadow or shelter. What we discussed with our friends is this. We agreed that the discussion on the General Budget should be taken up but he did not tell that the Finance Minister would be absent today and in his absence the discussion on the

General Budget would be taken up. Has he said that? You tell me. If you have said that, then I will withdraw my words. He did not tell that. The Minister of State in the Parliamentary Affairs only informed us that the discussion on the General Budget would start on Friday and it would go up to 3.30 pm. He also said that the discussion would start on Monday at 12 o' clock, it would go up to 6 pm or 7 pm and the reply would be after that. We agreed to that. He did not inform us that the Finance Minister would not be available on Friday but kindly cooperate with us in taking up the discussion. These are the new words invented by the Parliamentary Affairs Minister. Madam, the record should be made straight. ...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, there was a ruling by the Speaker also earlier; even on Finance. ...(*Interruptions*) I am not going into that. While discussing on the General Budget and also the Demands for Grants, there was a ruling. ...(*Interruptions*) I am not inventing anything. I am only requesting you, Shri Kharge ji, to cooperate with us. Shri Kharge ji, you are very senior enough to understand. ...(*Interruptions*) The Minister is a Minister. He is very much here. He is also capable. That has to be understood.

Secondly, because you were saying ...(*Interruptions*) ये क्या है, ये क्या है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं जिनको अलाऊ करूँगी, वही बोलें। दीपेन्द्र जी, आप बहुत बड़े समझदार हैं, मैं अलाऊ कर रही हूँ। मगर मैं जिसको अलाऊ करूँ, वही बोले। ऐसा नहीं है कि कोई भी बोले।

â€¦(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: When we hear the other side, you must also be patient enough to hear us. It is unfair...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** इनकी बात कम्पलीट होने के बाद मैं आपको भी बोलने दूंगी। इसी बात पर 3.30 बजे तक मैं डिस्कशन कराने के लिए तैयार हूं। Let him complete; and then I will allow you.

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** नहीं, अब क्या करूं, जितना सब कुछ बोलना है, आप भी बोलेंगे कि मुझे बोलना है। I will allow you. आज मुझे भी समझने दो कि अगर स्पीकर ने कुछ कहा तो गलत कहा होगा।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am requesting, now. Please understand. In the interest of the country and also time, let us proceed with the business.

Madam, in the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, at page 2, it is written:

> " "Minister" means a member of the Council of Ministers [and include a member of the Cabinet], a Minister of State, a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary."

This is the ruling; it is a rule also. At page 2, they can see it also. If they do not want to accept my request, my request is, accept the rule and then proceed further.

HON. SPEAKER: Yes, Mr. Ahamed.

SHRI E. AHAMED : Madam, he is speaking about proceedings of the House. The Members have to decide. This is about the financial matter; and it is a Budget Session.

On the matter of Finance, the Constitution has provided a special provision giving special powers to the Lok Sabha because the Lok Sabha is the House of accountability. Lok Sabha is the only place where you can present the Budget.

HON. SPEAKER: I know.

SHRI E. AHAMED: The Lok Sabha has the special rights; and so, the Minister in-charge of the Finance should be here. He is accountable for everything. Whatever this House passes is the law. That importance of the Lok Sabha cannot be abrogated. That is what we say. That shall not be diluted.

Of course, we all understand the Government's precarious position. But at the very same time, the Government must also understand why they are just making this amendment of the rule just for their convenience. It is not correct. They will also have to have the smooth functioning of the House. The Opposition is also cooperating with them. We have nothing to do with that.

But I would say that there are traditions and precedents. A lot of conventions have been made in this House. Those conventions have to be respected. That is why we say why do you not feel that the Lok Sabha's importance, Lok Sabha's privileges, Lok Sabha's priorities and Lok Sabha's prerogatives have to be there?

Madam, therefore, there is a well-established convention in this House regarding disposing of the Budget. That is to be followed. What is going to happen? Would the Heavens fall if they just postpone it by a few hours? Why do they just not agree to it? We must have a smooth functioning of the House.

माननीय अध्यक्ष **:** मैं आपकी बात समझ गई।

SHRI E. AHAMED: Madam, we are here to cooperate with you; we are here to help you. But at the very same time, it shall not be at the cost of prestige of this House. That is our only request. We have nothing against you.

Therefore, Mr. Minister, you please agree. You should not have done it to this House just sending the hon. Minister. You may have more important things. My friend, Mr. Jaitley will never violate the rules. I know him very well. But just wait for three hours, four hours, so as to just respect the

convention of this House.

माननीय अध्यक्ष **:** मैंने दोनों तरफ की बात सुनी है। पहली बात तो यह है कि मेरी भी मान्यता है, जैसे रूल में बताया गया कि 'स्टेट मिनिस्टर । He is also a State Minister of Finance. ऐसा भी नहीं है कि दूसरे महकमे के मंत्री यहां पर आकर के राज्य-मंत्री बैठे हैं और मैंने एलाऊ किया था। यह भी एक बार फिर मैं दोहरा रही हूं कि माननीय अरुण जेटली जी ने मुझे पत्र भी दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि he will be there on Monday without doubt. और उसमें उन्होंने यह भी कहा था : "I authorize Shri Jayant Sinhaji." और वे स्टेट मिनिस्टर हैं, तो फाइनेंस के ही हैं। ये सभी बातें सोचते हुए कि जब डिबेट प्रारम्भ हो रही है तो प्रारम्भ होने के बाद मिनिस्टर का काम इतना ही है कि नोट्स लेने हैं और बाद में उनको कैबिनेट मिनिस्टर को देना है या जो भी रिप्लाई करेंगे, उन तक पहुंचाना है। यह सब मैं भी 25 साल से देख रही हूं और इसलिए मैंने एलाऊ किया था। अगर कहीं फ्लॉ रहा है कि मैंने वह कन्वे नहीं किया है तो, यह मेरी भी मान्यता थी कि रूल्स के हिसाब से काम होना चाहिए।

â€¦(व्यवधान)

13.00 hrs

माननीय अध्यक्ष **:** मैं बता रही हूं न, क्योंकि I have permitted Mr. Jaitley Ji. श्री जयंत सिन्हा, वित्त राज्य मंत्री हैं। वे दूसरे किसी मंत्रालय के मंत्री नहीं हैं, बल्कि वित्त राज्य मंत्री हैं। इसलिए उनका उतना ही अधिकार है, इसलिए वे आज अटेन्ड करेंगे। फिर सोमवार को पूरे तरीके से Cabinet Minister will be there. रिप्लाई भी वही करेंगे। यह सब सोचते हुए, I have allowed him. इसलिए आज यह डिबेट शुरू हुई ।

इसके होते हुए भी अगर आप सब को यह मान्य नहीं है, इसमें मेरा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि वित्त राज्य मंत्री डिबेट में उपस्थित रहते हैं। वे इसकी नोटिंग करते हैं। यह कई सारे महकमों में होता आया है। बजट के बारे में भी मुझे मालूम है। ऐसा नहीं है कि बजट को अननोइंग्ली जाना है और कैबिनेट मिनिस्टर को यहां रहना ही नहीं है। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए यह एलाउ किया गया था।

अगर आप लोग चाहते हैं कि आज इस पर चर्चा न हो तो आप इस तरीके से बोलें कि you do not want discussion today. मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर, मुझे नहीं लगता कि यहां नियमों के विरुद्ध कोई काम हो रहा है।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Let me complete. अगर आप लोगों को लगता है या आपका यह आग्रह है कि आज इस विषय पर चर्चा होनी ही नहीं है, उन्हीं को यहां होना चाहिए, तो आप इस पर भले ही विचार करें, मगर ऐसा प्रिसेडेंट नहीं होना चाहिए। चूंकि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, इसलिए मैंने इसके बारे में डिटेल नहीं निकाला है। मगर, जहां तक मेरी जानकारी है, पहले भी ऐसा हुआ है और उसे मैं आपके सामने निकाल कर बता दूंगी।

â€¦(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल **(**बीकानेर**):** मैडम, ऐसा पहले पांच बार हुआ है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: If you do not want discussion today, चर्चा मत करिए। अगर आपका यह आग्रह है कि इसमें कैबिनेट मिनिस्टर को ही रहना है तो वे सोमवार को रहेंगे। मगर, आज आप इस पर चर्चा शुरू भी नहीं करना चाहते हैं तो मैं भी इसके लिए आग्रह नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोगों को ही इस पर बोलना है, आप लोगों को ही इस पर चर्चा में हिस्सा लेना है।

खड़गे जी, अगर आप चाहें तो सदन चलेगा, यह बात भी सही है। मगर, फिर एक बार इस बात को दोहराना चाहूंगी कि मैंने इसके लिए एलाउ किया था। मैंने वित्त मंत्री जी को एलाउ किया था और यही करके किया था कि as per Rule also, वित्त राज्य मंत्री will be there. आज केवल इस पर डिबेट शुरू होनी है। सोमवार को जब डिबेट पूरे दिन चलेगी और जब डिबेट पूरी होगी तब वित्त मंत्री यहां पर स्वयं उपस्थित रहेंगे, यह सब सोच कर मैंने इसके लिए परमिशन दी है। फिर भी, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सब लोग उसके अनुसार निर्णय ले सकते हैं। I have no objection.

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** आप अपना डिसीजन तय कर लीजिए। I have no objection.

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** प्लीज़, पहले तथागत जी बोलेंगे।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam, I would request you to please add that this will not be a precedent.

माननीय अध्यक्ष **:** ठीक है, अगर इस पर आप लोग सहमत हों तो यह हो सकता है। मगर, ऐसा कभी पहले हुआ है या नहीं, यह भी मुझे देखना पड़ेगा। अगर आप लोग इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं तो यह नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को ही सदन चलाना है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे**:** मैडम, हम आपको, आपके डिसीजन को फुल्ली एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारा आपके प्रति उतना ही आदर है, जितना सभी मेम्बर्स आपका आदर करते हैं। लेकिन, प्रश्न यही है कि हमें इस बारे में आपके ऑफिस से मालूम नहीं हुआ या जब डिस्कशन था तो वे भी नहीं बोले। अगर वे कहते तो हम उन्हें यही कहते कि आप इसे मन्डे के दिन ले लें, जब वे आएंगे। हमारी इसके बारे में तैयारी नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे मेम्बर वीरप्पा मोइली जी रेडी हैं। वे दो दिनों से इसी के बारे में चर्चा कर-करके बैठे हैं। हम तैयार नहीं हैं, इसलिए इस पर चर्चा मन्डे को किया जाए, ऐसा नहीं है।

HON. SPEAKER: I am not saying that.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे**:** हम इस पर चर्चा करने को तैयार हैं। अगर अभी भी जेटली साहब यहां आ गए तो हम अभी इस पर चर्चा शुरू कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष **:** वे अभी यहां कहां से आएंगे?

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे**:** मैं इसीलिए यह बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह बात नहीं आनी चाहिए।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am not saying that.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हम इस पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन इसे आप उनके आने के बाद मन्डे को ले लीजिए और आज दूसरे विषय पर आप चर्चा कीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या हाउस यही चाहता है कि आज बजट पर चर्चा न हो? मैंने रूलिंग तो दी है, मैंने एलाउ तो किया है और मेरी भी यह मान्यता है।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, मैं आपका आभारी हूं और आपकी अनुमति से प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : क्या रूल नंबर है?

श्री जगदम्बिका पाल : मैं चाहता हूं कि आप रूल्स ऑफ प्रोसीडयोर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोक सभा के सैक्शन 204 और 206 को देखने की कृपा करें। इसमें साफ तौर से स्पष्ट है कि Rules 204 (1) & (2) state that :

"The Annual Financial Statement or the Statement of the Estimated Receipts and Expenditure of the Government of India in respect of each financial year (hereinafter referred to as 'the Budget') shall be presented to the House on such day as the President may direct.

The Budget shall be presented to the House in such form as the Finance Minister may, after considering the suggestions, if any, of the Estimates Committee, settle."

माननीय अध्यक्ष : वह सब हो गया है।

श्री जगदम्बिका पाल: वह प्रेज़ेंट हो गया।

Rule 205 states that :

"There shall be no discussion of the Budget on the day on which it is presented to the House."

माननीय अध्यक्ष : वह सब हमने देखा है।

श्री जगदम्बिका पाल: आप सैक्शन 208 देख लीजिए। ...(व्यवधान)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Madam, a reference is made here about the Finance Minister only. ...(*Interruptions*)

श्री जगदम्बिका पाल: मिस्टर दीपेन्द्र जी आप रनिंग कमेंट्री मत कीजिए।...(व्यवधान) आप बैठ के बात मत करिए।...(व्यवधान) मैं चाहता हूँ कि आप सैक्शन 208 को भी देख लें। सैक्शन 208 में साफ तौर से लिखा हुआ है कि

"The Finance Minister shall have a general right of reply at the end of the discussion."

फाइनेंस मिनिस्टर को डिबेट के एंड में रिप्लाई करना है। यह सदन नियमों से चलेगा, परम्पराओं से चलेगा। कैबिनेट मिनिस्टर ने बजट को प्रस्तुत कर दिया है। आप टाइम प्रेस्क्राइब करेंगी, विद कंसल्टेशन ऑफ दी लीडर्स ऑफ दी हाउसेज, सारी पार्टियों के नेताओं से, वह टाइम आपने फिक्स कर दिया है। डिबेट शुरू होनी है। डिबेट का रिप्लाई फाइनेंस मिनिस्टर देंगे। फाइनेंस मिनिस्टर दें, एमओएस दें। आज इस समय किस नियम के तहत इस डिबेट को रोका जा सकता है, मैं नियमों के तहत आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Madam, the precedents are there and there is no doubt about it. Secondly, the Rule is very clear. Minister means a member of the Council of Ministers ...(*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Nobody is disputing it. ...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Mr. Premachandran, please have some patience. ...(*Interruptions*) Otherwise, you people only speak and we will sit quietly for ever. ...(*Interruptions*) What is it? I do not know. I have also been there in the House for some time. Every time, it is being done. ...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): We have to raise our objections. Where will we raise our objections? ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वेणुगोपाल जी, फिर आप लोग वही कर रहे हैं।

â€¦(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Okay, raise objections. ...(*Interruptions*) You are raising objections without rising. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट रूकिए। खड़गे जी, मैं आपकी सहायता चाहूंगी। इधर से हमेशा मैंने बोला है कि ये अपनी सीट पर नहीं बैठते हैं। ठीक है, आपकी मदद के लिए बार-बार ये आते हैं, तो आप इनकी सीट चेन्ज करिए। मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे बाकी सब लोगों की चिन्ता है। फिर बैठे-बैठे हर समय बोलना ठीक नहीं है। आप भी मुझे थोड़ा सहयोग करिए। मैं एलाऊ कर रही हूं। इन लोगों को कभी मैंने ऐसे एलाऊ नहीं किया है। पूरा सदन इस बात का साक्षी है। आज मुझे यह बोलना पड़ रहा है। मैं इतने दिनों से अवाइड कर रही थी। This is not the way to do it.

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष :बैठे-बैठे कमेंट्स क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं सबको एलाऊ कर रही हूं।

â€¦(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, they also change their seats. â€¦ (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** ऐसा नहीं होता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे**:** बहुत सारे लोग इधर से उधर बैठते हैं, उधर से इधर बैठते हैं।

माननीय अध्यक्ष **:** बोलते समय सभी सीट से बोलें। अगर आपको यह अच्छा लगता हो तो ठीक है। Then I have nothing to say on it.

...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: We can raise objections from our seat. ...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Madam, under Short Tile and Definitions of Chapter 1 in Rule 2 at page 2, it is stated that :

> "Minister" means a member of the Council of Ministers [and includes a member of the Cabinet], a Minister of State, a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary;".

So, it is very much there in the Rules. Secondly, a number of precedents are there. Thirdly, we can quote Rulings also, but I do not want to take time on it. Yesterday, it was announced that General Budget discussion will be taken up today. Now, the leader of the Congress Party is saying that they are not aware that the Finance Minister is not going to be here. Then, I thought that he may say that they have not prepared because the Finance Minister is not there. Now, he is saying that they are ready also, and for the last two days they have been discussing about it and they have come prepared for it. Madam, the point that I am trying to make is that if the Congress Party wants to initiate the debate, then let them initiate it. It is because the Speaker has already given her Ruling.

Secondly, if they have any problem because they want to speak only in front of the senior Minister, that is, the Cabinet Minister, then they can have their choice, that is, others can start today, and then Congress Party person can speak on Monday. ...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: No, Madam....(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, this is too much. They want to kill the democracy by doing this. ...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Yes, Madam. They want to kill the democracy. ...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : It is the Speaker's Ruling. Who is killing democracy? ...(*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, I am on a point of order. We are not against the competency of the Minister of State for Finance to give the reply or to take notes during the debate.

HON. SPEAKER: He is not going to give the reply.

SHRI P. KARUNAKARAN : Budget is the main subject and it is the most important issue, as far as our Parliament is concerned. Not only in India, but also in other countries, people listen to the discussion that is going on.

As hon. Speaker has stated, the Minister of State can take notes and pass it on. However, hearing the speeches or words spoken by the Opposition Members or by the Treasury Benches is most important. It is entirely different from taking notes alone. It is most important that the Finance Minister witnesses the discussions that are going on.

It is true that there may be rules or precedents. However, as far as Parliament is concerned, Budget discussion is the most important thing and the Finance Minister is the main person who has to not only give the reply, but also should be a witness to the feelings being expressed. When we raise some issues with regard to the amendments, he will be able to understand them.

I do not question the competency of the Minister of State, but at the same time, what I have stated also is important.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, yesterday, when Rudy Ji came to me and gave his proposal regarding the change and said that the Congress Party and the AIADMK have agreed to it, I have also agreed to it. Very honestly speaking, I was aware of the fact that the Finance Minister would not be available. Knowing full well, I have agreed with what they have said. However, today, when the Parliamentary Affairs Minister said that if the Congress Party does not want to initiate the debate, then any hon. Member from any other party could start the discussion, I do not agree with that. Factually, Congress Party is the main Opposition. The discussion on the Budget should be started by the main Opposition first. Unless they start it, it is not possible for us to participate. Therefore, considering the entire situation, a decision has to be taken by everyone whether the debate will start or not. Should the debate start, in all fairness, it should be started by the Congress Party.

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Madam, I am on a point of order. ...(*Interruptions*)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी **(महबूबनगर):** अध्यक्ष जी, पहले बी.ए.सी. के बारे में नोटिस दिया जाता है और हम सभी पार्टी के सदस्यों को बुलाते हैं और बी.ए.सी. में यह डिसाइड होता है कि हम यह-यह

कार्य करेंगे, हम उनके लिए इतना समय आवंटित करते हैं।

रूडी जी अपने-आप जाकर कल्याण बनर्जी जी से बात करते हैं, ए.डी.एम.के. वालों से बात करते हैं...(व्यवधान) हम भी पार्टी के लीडर हैं। ...(व्यवधान) हम भी बी.ए.सी. में आते हैं। हमसे कुछ बोले बिना,...(व्यवधान) आज हमें मालूम पड़ रहा है कि शनिवार को छुट्टी है लेकिन उस दिन डिसाइड हुआ था कि हम शनिवार को काम करेंगे। आप अपने-आप गुफ्तगू कर लेते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जितेन्द्र जी, ऐसा नहीं हुआ है। आप बैठ जाइए। यह डिसिजन कल पार्लियामेन्ट में हुआ है। आप हर बात पर नहीं बोलेंगे।

â€¦(व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: मैडम, बजट पर जो डिसिजन लिया जाता है, उसके लिए हमसे भी थोड़ा कन्सल्ट करना चाहिए। ...(व्यवधान) कोई कुछ नहीं बोलते हैं...(व्यवधान) आप लोग केवल दो-तीन पार्टियों के सदस्यों के साथ बातचीत कर लेते हैं...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: It has not happened like that.

â€¦(व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: मैडम, बी.ए.सी में बुलाने का मतलब क्या होता है?...(व्यवधान) बी.ए.सी में डिसिजन लेने का मतलब क्या होता है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं हुआ है।

â€¦(व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: हर पार्टी के सदस्य को बुलाकर चर्चा करनी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं हुआ है। आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You will not know, if you are not there. ..

.(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जितेन्द्र जी आप इसको गलत अर्थ में न लें, कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। कल ओपेनली हाउस में मैंने खुद प्रस्ताव रखा था कि यदि आप लोग शनिवार को छुट्टी चाहते हैं, जो हमने डिक्लेयर किया था कि शनिवार को वर्किंग डे है, फिर भी आप चाहेंगे तो कल हम बजट पर चर्चा शुरू करेंगे। यह हाउस में चर्चा हुई थी।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने जो बोला है, मैं उसके बारे में बोल रही हूं। यह किसी एक-दो लोगों के साथ बात करके तय नहीं हुआ था। यह हाउस में तय हुआ था। आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दूसरा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि मैंने भी यह देख कर किया था कि 'Finance Minister' means 'any Minister', यह रूल्स में लिखा हुआ है। मैंने ऐसे ही नहीं किया है, 'Finance Minister' means 'any Minister', इसलिए आज बात केवल बजट पर चर्चा प्रारंभ करने की थी। स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनैंन्स भी वैसे ही माने जायेंगे, जैसे बाकी मिनिस्टर माने जाते हैं तो 'Finance Minister' means 'any Minister', जहां लिखा हुआ है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसी आधार पर मैंने रूलिंग देकर कैबिनेट मिनिस्टर को एलाऊ किया है और इसी आधार पर यह तय हुआ है और वह ऑथराइज्ड भी करके गये हैं। He is also the Minister of State for Finance. इन सब बातों को देखकर हमने आज की चर्चा प्रारंभ की है। मेरा इतना ही कहना है कि यह मेरी दी हुई रूलिंग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें केवल कैबिनेट मिनिस्टर के सामने ही बोलना है, तो जो तैयार हैं, he is the Minister of State who is authorized. यह रूल्स में भी है कि Finance Minister means any Minister. आप रूल्स की किताब पढ़िए। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम समय का सदुपयोग करें। इस पर बारह घंटे चर्चा करनी है। अगर आज नहीं होगा तो सोमवार को रात बारह बजे तक बैठना पड़ेगा। जो सदस्य चर्चा करना चाहते हैं, आप उन्हें ऐलाऊ कीजिए और जिन सदस्यों को कैबिनेट मिनिस्टर के सामने ही बोलना है, वे सोमवार को बोल सकते हैं। I am allowing that much. आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं। खड़गे जी, आप इतना सहयोग तो कर ही सकते हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, यह अच्छा ट्रेडिशन नहीं होगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह भी नहीं होगा, स्पीकर द्वारा दी गई रूलिंग भी नहीं मानेंगे।

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: दोनों बातें नहीं हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने रूलिंग दी है। मैंने ऐलाऊ किया था।

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हमने आपसे रिक्वैस्ट की। इसका मतलब सह नहीं है कि वे तैयार नहीं हैं, इसीलिए हम किसी को भी बात करने दें।...(व्यवधान) यह ठीक नहीं होगा। हम तैयार हैं, बात

करेंगे। हमारा यही कहना है कि फाइनैंस मिनिस्टर, जैसे पूरे विपक्ष के सदस्यों ने बताया, वे भी मानते हैं कि जब कैबिनेट फाइनैंस मिनिस्टर यहां रहेंगे तो सोमवार को इस विषय को लेने में कोई हर्ज नहीं है और इससे कुछ होने वाला भी नहीं है। आप बाकी विषय ले सकते हैं। उन पर हमने पूरा कोऑपरेट किया। कल आपने कहा कि रेलवे बजट पास करना है तो रात के सात बजे तक आप भी बैठी थीं, मैं समझता हूं कि आप और हम ही लास्ट पर्सन्स थे, हालांकि उस तरफ दस-बीस लोग भी नहीं थे।...(व्यवधान)

हम कोऑपरेट करते हैं।...(व्यवधान) ज़ीरो आवर में नहीं थे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप लोग हर बात में मत बोलिए, मत टोकिए। कम से कम आप कोऑपरेट कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे**:** मैं अध्यक्ष महोदया से बात कर रहा हूं, वे खुद थीं और उन्होंने विटनस किया है। मेरा यही कहना है कि इसमें कोई प्रैस्टिज ईशू नहीं है। हमें परम्परा के अनुसार चलना है। ठीक है, आपने रूल्स के मुताबिक कहा, उस पर हमने डिसप्यूट नहीं किया। कोई भी मंत्री बोल सकते हैं, उस बारे में भी कोई डिसप्यूट नहीं है, लेकिन परम्परागत अगर फाइनैंस मिनिस्टर रहें तो अच्छा रहता है। जो डिबेट इनीशिएट करेंगे, जिन्हें इस बारे में एक्सपीरिएंस है, उन्होंने फाइनैंस के मसले देखे हैं, फाइनैंस कमीशन था, एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन में भी थे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। यह सब चीजें हैं। हम भी कुछ बताएंगे। उनकी कम्पीटैंसी पर कोई बात नहीं है। हमें बहुत आदर, गौरव है। वे बहुत अच्छे स्पीकर हैं और गवर्नमैंट को बहुत अच्छा डिफैंड करते हैं। इसीलिए वे चार-छ: लोगों को चुन-चुनकर लाए हैं। उनमें से वह भी हैं। जो यहां के मैम्बर नहीं थे, उन्हें भी चुनकर लाए हैं, आपको मालूम है। यह उनकी मर्जी है। मेरी यही विनती है कि इस विषय को सोमवार को लीजिए। अब सिर्फ दो घंटे का समय है, आप बाकी विषय ले लीजिए।

माननीय अध्यक्ष **:** मैं पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से कहूंगी कि दूसरा विषय ले लीजिए, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि जब मैंने ऐलाउ किया है, Finance Minister means any Minister according to rules and according to book also. इसीलिए मैंने भी ऐलाऊ किया था। जब स्पीकर को कैबिनेट मिनिस्टर का पत्र मिला था, तब उन्होंने यह कहा था। आपको स्पीकर द्वारा कही हुई बात या जो ऐलाऊ किया, अगर वह गलत लगता हो तो you can take decision.

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे**:** हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं, हम रिक्वैस्ट कर रहे हैं कि आज वे यहां नहीं हैं, इसलिए उनके सामने करेंगे। हम आपसे विनती कर रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, I do not want to embarrass the Speaker. I have given a deep thought to this. They seem to have made up their mind. They say that they do not have any dispute with the rules; they do not have any dispute with the precedent. They say they have the highest respect for the Speaker. But they do not want to start the debate and they do not want others anklso to start the debate. If that is the view, Madam, I do not want to embarrass the Speaker because it should not so happen that the Speaker is saying something and that is not happening. That is why you may please adjourn the House and then whatever has to happen will happen.

HON. SPEAKER: The House stands adjourned up to 2:30 p.m.

13.21 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes

past Fourteen of the Clock.

14.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes

past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)